न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

(110)

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/3305 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.07.2017 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 15/अपील/2016-17.

छोटेवीर आ. बाबूलाल गूजर
निवासी ग्राम कलंगवा, तहसील बनखेड़ी,
जिला होशंगाबाद, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

पूरनलाल आ. बाबूलाल गूजर
निवासी ग्राम झालौन, तहसील सोहागपुर,
जिला होशंगाबाद, म.प्र. .....अनावेदक

श्री जी.सी. पाण्डे, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती ममता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 06.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम कलंगवा में आवेदक एवं अनावेदक के पिता बाबूलाल आ. गोकल प्रसाद के नाम की भूमि खसरा नंबर 224/1 रकबा 344ए/1.134 हैक्टेयर भूमि दर्ज थी। उक्त भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज होने तथा अनावेदक का नाम छूट जाने से अनावेदक ने तहसीलदार, बनखेड़ी के समक्ष नाम शामिल करने का निवेदन किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. 128/अ-6-अ/2012-13 दर्ज कर आदेश दिनांक 15.10.2013 द्वारा इस आधार पर अनावेदक का आवेदन पत्र खारिज किया गया कि संहिता की धारा 115-116 के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के बाद किसी प्रविष्टि को सुधारे जाने की अधिकारिता के प्रावधान नहीं

है। अनावेदक सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है। तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया, जिला होशंगाबाद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23.05.2016 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए प्रश्नाधीन भूमि पर खातेदार बाबूलाल के सभी वारिसानों के नाम दर्ज किये गये। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील दिनांक 17.11.2016 को विलम्ब से आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। आयुक्त द्वारा दिनांक 06.07.2017 को आदेश पारित कर आवेदक की अपील समयावधि बाह्य मानकर निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय को इस आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में सर्वप्रथम अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रा.अ.प्र.क्र. 8/अ-6-अ/13-14 मौजा कलंगवा का मूल अभिलेख अपने न्यायालय के समक्ष बुलाकर और इस अभिलेख में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंकित की गई आदेश पत्रिका जिसमें प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.05.2016 को पारित करने के बाद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न तो इस आवेदक को कोई सूचना पत्र आदेश पारित किये जाने के संबंध में जारी किया गया है और न ही इस आदेश पारित करने के बाद आवेदक के अधिवक्ता को आदेश टीप कराया गया है, जबकि इस संबंध में म.प्र. भू-राजस्व संहिता में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि न्यायालय को आदेश पारित करने के बाद संबंधित पक्षकार या उसके अभिभाषक को आदेश से सूचित कराया जाना चाहिए। यिद पक्षकार उपस्थित नहीं है तो उसे विधिवत सूचना पत्र जारी कर पारित किये गये आदेश की जानकारी दी जाना चाहिए, परंतु अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के बाद विधि के प्रावधानों का पालन न किये जाने के कारण प्रश्नगत आदेश की जानकारी इस आवेदक को प्राप्त नहीं हो सकी और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई चूक का परिणाम यह आवेदक भुगतने के लिए अनावेदक नहीं है।

(2) प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार विधि की यह मंशा होती है कि समय सीमा जैसे तकनीकी बिंदु पर न्यायालय का मत लचीला होना चाहिए और ऐसे तकनीकी बिंदुओं पर न्यायालय को पक्षकारों के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार अपनाना चाहिए और माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा इस संबंध में यह न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं कि समयसीमा के बिंदुपर किसी भी पक्षकार के विरूद्ध आदेश पारित करना अर्थात् ऐसा करके संबंधित व्यक्ति को न्याय पाने से वंचित करना है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांतों के अनुरूप अपर आयुक्त द्वारा इस आवेदक की अपील को अवधि बाह्य मानकर तकनीकी आधारों पर निरस्त कर इस आवेदक को न्याय पाने से वंचित किया गया है और यदि माननीय न्यायालय भी इस आवेदक की निगरानी स्वीकार कर उसको प्रकरण में विधि अनुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो इस आवेदक के साथ घोर अन्याय होगा और यदि ऐसा हुआ तो यह न्याय की हत्या की श्रेणी में माना जायेगा। इसलिए इस आवेदक की निगरानी को स्वीकार कर आयुक्त द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांक 06.07.2017 को अपास्त किया जाये।

(3) आयुक्त द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करने में तत्परता बरती गई है, चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण दिनांक 05.01.2017 से 08.06.2017 तक अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख तलब किये जाने हेतु नियत था और इस दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख प्राप्त किये बगैर ही प्रकरण में उभय पक्ष के कोई तर्क श्रवण किये बगैर ही प्रकरण में यह विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

(4) आयुक्त द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को समय सीमा के बिंदु पर खारिज किये जाने के कारण अनावेदक द्वारा अपने प्रकरण में की गई घोर अनियमितताओं एवं विधि विरूद्ध किये गये अनुसरण की भी कोई जांच नहीं हो पाई है। चूंकि अनावेदक द्वारा पूर्व में ही अपना अधिकार प्राप्त कर लिया गया है और बाद में पुन: अनावेदक ने आवेदक की भूमि में अपना नाम अभिलेख दुरूस्त कराने के नाम पर इस आवेदक को कोई सूचना दिये बगैर और विधि की प्रक्रिया का पालन किये बगैर अपना नाम जुड़वा लिया है और आवेदक की आधी भूमि में अपना अधिकार बताने लगा है और अनावेदक ऐसा करके आवेदक को परेशान करने लगा है। इन विशेष बिंदुओं की भी कोई जांच भी इस प्रकरण में नहीं हो पा रही है चूंकि आवेदक को तकनीकी आधारों पर ही अपना पक्ष प्रस्तुत करने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रोका गया है और विधि अनुसार ऐसा किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त कर

विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23-5-2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 20-9-2016 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । आवेदक को आलोच्य आदेश की आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 27-9-2016 प्राप्त होने के बावजूद उसके द्वारा आयुक्त के समक्ष अपील दिनांक 17-11-2016 को प्रस्तुत की गई है, जबकि उन्हें आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के बाद अविलम्ब अपील प्रस्तुत करना चाहिए था । आवेदक द्वारा न तो विलम्ब के संबंध में समाधानकारक कारण बताया गया है और न ही प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण दिया गया है । उपरोक्त स्थिति में आयुक्त द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील समय बाह्य होने से निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है । इस संबंध में 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 5-व्याप्ति-अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।"

उपरोक्त विश्लेषण एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत के प्रकाश में आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर